

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एक 4(1) परादि/पौरा/निरा/2011/ 878 जयपुर, दिनांक 14.9.2011

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष की वर्ष 2011-12 की प्रथम किश्त की राशि रु. 1,98,27,27,000/- (अक्षरों राशि रु. एक सौ अठानवे करोड़ सत्ताईस लाख सत्ताईस हजार मात्र) ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में संलग्न सारणीनुसार हस्तान्तरण किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग विभागीय पत्र क्रमांक 657 दिनांक 9.9.2011 द्वारा जारी योजना के दिशानिर्देशानुसार तथा राज्य वित्त आयोग चतुर्थ के अन्तरिम दिशानिर्देशानुसार ही किया जावेगा। इस राशि का विकल्पेय मद निम्न प्रकार है:-

बजट मद

2515 -अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

198 -ग्राम पंचायतों की सहायता

भाग सं. 41 (22) - पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष	भाग सं. 30 (23) - पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष	भाग सं. 61 (24) - पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष	योग (राशि लाखों में)
[02]- कार्यकलाप/ गतिविधियां 12-सहायताएं अनुदान (अयोजना) 11932.719	[02]-कार्यकलाप गतिविधियां 12-सहायताएं अनुदान (अयोजना) 3338.778	[02]-कार्यकलाप गतिविधियां 12-सहायताएं अनुदान (अयोजना) 4555.773	19827.270
		कुल योग	19827.270

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 331100585 दिनांक 06.09.2011 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

M. S. C.  
12/9/11  
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महासूचनाकार, (लेख एवं हकी) राजस्थान जयपुर ।
  2. जिला अधिकारी, अति. मुख्य सचिव, मंत्रीदय, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
  3. जिला सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
  4. शासन उप सचिव वित्त (अध्य-5) विभाग ।
  5. राजस्थान उप सचिव वित्त (आर्थिक मामला) विभाग ।
  6. स्टेट लीड बैंक आफ़ीसर को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणी अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में उक्तानुसार राशि अन्तर्गत अविलम्ब ही जाये, इसकी सुनिश्चितता हेतु समन्वय करने का श्रम करावे ।
  7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सदियालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे एफ. वी.सी. बिलों को अनुसार चेक तैयार करवाकर विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराये का श्रम करावे ।
  8. ..... बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि आपके बैंक एवं आपके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्थित ग्राम पंचायतों के खातों में पंचायतों के नाम के सम्मुख अंकित राशि सम्बन्धित खातों में अन्तर्गत करवाने की एक कार्य दियास नें व्यवस्था करावे, तथा विभाग को अविलम्ब सूचित करे ।
  9. चीफ़ मैनेजर / ग्राम्य मैनेजर ..... बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि सारणी में अंकित ग्राम पंचायतों के सम्मुख अंकित राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट तैयार करवाकर अविलम्ब सम्बन्धित ग्राम पंचायत को प्रेषित कराने की व्यवस्था करावे ।
  10. संलग्न चीफ़ मैनेजर / ग्राम्य मैनेजर सम्बन्धित बैंक को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सारणियों के अनुसार खाता संख्या सम्बन्धित ग्राम पंचायत का ही है इसकी पुष्टि उपरोक्त ही राशि का अन्तरण किया जाये । गलत खाते में अन्तरण नहीं हो इसका ध्यान रखा जावे; यदि किसी भी ग्राम पंचायत के नाम में अथवा बैंक ग्राम्य खाता संख्या में ऐसी कोई भिन्नता आती है जिसके कारण इस राशि का अन्तरण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के खातों में किया जाता सम्भव नहीं हो पा रहा हो तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर अविलम्ब " सरपंच ग्राम पंचायत ..... (प.स. ....) जि.प. .... ) के पक्ष में डी.डी. / बैंकर्स चेक बनवा जाकर सम्बन्धित पंचायत समिति कार्यालय या सम्बन्धित जिला परिषद कार्यालय या इस विभाग को तत्काल प्रेषित करावे; किसी भी स्थिति में राशि बैंक द्वारा नहीं लेकी जाये । अतः उक्तानुसार अपनी सहायक बैंकों को राशि अन्तरण के समय निर्देश आपके स्तर से प्रेषित करें ।
- अपनी सहायक बैंकों से ग्राम पंचायतों के सही बैंक खातों में एवं राशि की स्थिति में डी.डी. / बैंकर्स चेक से राशि के अन्तरण की पुष्टि प्राप्त कर सम्पूर्ण राशि के अन्तरण की की पुष्टि विभाग को 7 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें ।
11. संलग्न चीफ़ मैनेजर / ग्राम्य मैनेजर सम्बन्धित बैंक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया में किसी भी बैंक को राशि के हस्तान्तरण करने अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करके इत्यादि पर किसी भी तरह का कोई कमीशन / सर्विस चार्ज आदि देय नहीं होगा ।
  12. आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभाग मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त स्वीकृति के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार बैंक वार एफ.वी.सी. बिल तैयार कर कोषालय, सचिवालय परिसर को प्रेषित कराने की तत्काल व्यवस्था करावे ।
  13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ विकास अधिकारीगण एवं सरपंचगण को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभागा द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों तथा राज्य वित्त आयोग चतुर्थ के अन्तर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुये किया जावे तथा समस्त विकास अधिकारीगण इन कथत अपने क्षेत्रस्थ ग्राम पंचायतों को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर दें, यह सुनिश्चित भी करावे ।
  14. लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त ।
  15. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ सरपंच, ग्राम पंचायत को तत्काल सूचित करवावे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों तथा राज्य वित्त आयोग चतुर्थ के अन्तर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुये किया जावे ।
  16. राजस्थान पत्रपाली ।

  
 अधिसूचना अभियन्ता (टी.सी.)